

29/6/17

पंजाब लीक अडाल्ट कोर्ट कैम्प बीगाप
में पेश हुई। वादी स्वयं उप०। वादी ने
उपरिष्ठा होकर कहा कि वह वाड को
विद्धो करना चाहता है। वादी का निवेदन
स्वीकार किया गया। चूंकि वादी वाड
को आगे नहीं चलाया-चाहता है। अतः
वाड में आगे की कार्यवाही इनी स्तर
पर समाप्त की जाकर वाड विद्धो किया
जाता है। पंजाबी नियम सुभार
होकर पारित उपर ही।

निर
अमान

सहायक कलेक्टर
(SDO) लुधियाना